



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



12 कार्तिक, 1945 (श०)

संख्या - 652 राँची, शुक्रवार,

3 नवंबर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

26 सितम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-10/2021-24300 (HRMS)--श्री राज किशोर प्रसाद, झा०प्र०से०
(तृतीय बैच, कोटि क्रमांक-219/20), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सतबरवा, पलामू के विरुद्ध
उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-251, दिनांक 04.03.2021 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया
गया है। आरोप पत्र में श्री प्रसाद के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

1. उप विकास आयुक्त, पलामू द्वारा दिनांक 05.01.2021 को प्रखण्ड सतबरवा का औचक
निरीक्षक/प्रखण्ड स्तरीय समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के
क्रियान्वयन में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सतबरवा द्वारा रुचि बिल्कूल नहीं ली जा रही है। MIS
जाँच के क्रम में दिनांक 20.02.2021 को इस योजना अन्तर्गत 393 लाभुकों का निबंधन, 28
लाभुकों का जियो टैगिंग तथा Verified Account के विरुद्ध 34 लाभुकों का प्रथम किस्त भुगतान
लंबित पाया गया। निबंधन, जियो टैग एवं FTO गैप को समाप्त करने हेतु जिला स्तरीय समीक्षा
बैठक, पत्राचार, दूरभाष एवं विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बार-बार निदेश दिया गया,
बावजूद इनके द्वारा ससमय गैप समाप्त नहीं किया गया।

2. योजना अंतर्गत विंडोसील स्तर का जियोटैगिंग के उपरांत इनके द्वारा द्वितीय किस्त भुगतान में भी अनावश्यक रूप से विलंब किया जाता है। MIS प्रतिवेदन के अनुसार इस योजना का कुल 48 लाभुकों का आवास विंडोसील स्तर की जियोटैगिंग के उपरांत द्वितीय किस्त भुगतान में दो/तीन माह तक विलंब किया गया है एवं 03 तीन लाभुकों के आवास का विंडोसील स्तर का जियोटैगिंग के उपरांत अभी तक द्वितीय किस्त भुगतान नहीं किया गया है, जो बिल्कुल ही अनुचित है।

3. जियो टैगिंग के उपरांत दो/तीन माह एवं इससे अधिक समय तक किस्त का भुगतान लंबित रखा गया है। लाभुकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। इस क्रम में अवैध राशि के लेनदेन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। इससे सरकार की छवि धूमिल हुई है, जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सतबरवा की गलत मंशा को भी प्रदर्शित करता है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-2079, दिनांक 01.04.2021 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। कई स्मार पत्रों द्वारा स्मारित किये जाने के पश्चात् श्री प्रसाद के पत्रांक-824, दिनांक 25.08.2022 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6085, दिनांक 29.09.2022 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-11, दिनांक 05.01.2023 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है।

श्री प्रसाद के विरुद्ध गठित आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, पलामू से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई। श्री प्रसाद द्वारा तत्परता के साथ लाभुकों का स्थल सत्यापन के उपरांत शीघ्रता से निबंधन कर प्रथम किस्त का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए था, परन्तु इनके द्वारा इसमें तत्परता नहीं दिखायी गई। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के अधीन प्रखण्ड नाजिर, पंचायत सेवक कार्य करते हैं। अतः श्री प्रसाद को जिला से प्राप्त दिशा निदेश के अनुरूप तत्परता के साथ द्वितीय किस्त का भुगतान करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है।

समीक्षोपरांत, श्री प्रसाद के विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-3111, दिनांक 31.05.2023 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है। उक्त के अनुपालन में श्री प्रसाद के पत्रांक-623, दिनांक 08.06.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) PWL में Single ID वाले लाभुक, Family Details में Family Head के रूप में अन्य जाति के परिवार का नाम अंकित होने आदि मामले में ससमय स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण कुछ लाभुकों के निबंधन/प्रथम किस्त भुगतान में विलम्ब हुआ।

(ii) पंचायत सचिव एवं क्षेत्रीय कर्मियों के अल्प उपलब्धता के कारण तत्पर रहने के बावजूद स्थल जाँच/सत्यापन में विलम्ब होने के कारण PMAY-G के कुछ लाभुकों को द्वितीय किस्त का भुगतान में विलम्ब हुआ था, जिसका उनको अत्यंत खेद है।

(iii) अपने अधीन कार्यरत कर्मियों से ससमय कार्य निष्पादन कराने की सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी का ही है। परन्तु अनुशासनहीन तथा उच्चाधिकारी के आदेश की अवमानना करने वाले प्रखण्ड नाजिर जैसे पद पर कार्यरत कर्मियों पर कार्रवाई सुनिश्चित होने में प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण PMAY-G लाभुकों का किस्त भुगतान में हुए विलम्ब के लिए खेद व्यक्त करते हैं। उनके

द्वारा कभी भी सरकारी कार्य में उदासीनता, लापरवाही, स्वेच्छाचारिता जैसे आचरण का अनुसरण नहीं किया गया है तथा उक्त मामले में किसी भी कृत्य से लिए उनकी कोई गलत मंशा नहीं थी। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में प्रायः उन्हीं तथ्यों को उपस्थापित किया गया है, जो इनके स्पष्टीकरण में समर्पित है। प्रस्तावित दण्ड असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक पर द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु निर्गत विभागीय पत्रांक-3111, दिनांक 31.05.2023 में अंकित बिन्दुओं से संबंधित विषय पर इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है।

अतः समीक्षोपरांत श्री राज किशोर प्रसाद, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सतबरवा, पलामू द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री राज किशोर प्रसाद, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAJ KISHORE PRASAD 110001163101	श्री राज किशोर प्रसाद, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, कोटि क्रमांक-219/20), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सतबरवा, पलामू के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
